

(370)

राजस्थान सरकार,
नगरीय विकास विभाग

(38)

क्रमांक प.3(55)नविवि / 3 / 2002 पार्ट

जयपुर, दिनांक:

17 NOV 2011

आदेश

इस धिकार के समरांख्यक परिपत्र दिनांक 19.4.2011 द्वारा राजस्थान के नगरीय शोँओं में सार्वजनिक, चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन के संबंध में जारी नीति की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में निम्नलिखित गिन्दुओं पर भी आवश्यक रूप से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित कराव :—

- ऐसी चिकित्सा संस्थाओं जिनको भूमि आवंटित की गई है के बाहर सहजदृश्य स्थान पर एक बोर्ड लगाया जावे जिसमें उन्हें द्वारा बीपीएल कार्डधारियों को क्या—क्या सुविधावें निःशुल्क उपलब्ध करवायी जाती है का स्पष्ट उल्लेख किया जावे। निःशुल्क/रियायती दर पर आवंटित जमीन एवं आवंटन वर्ष का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। बोर्ड में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि चिकित्सालय द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में मुख्य चिकित्सा व रचारश्य अधिकारी, जिला कलक्टर व परियोजना निदेशक मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष को सूचित किया जावे। संबंधितों के दूरभाष नन्हरों का भी उसमें अंकन किया जावे।
- वर्ष 2001 के पहले जिन चिकित्सालयों को निःशुल्क/रियायती दर पर भूमि आवंटित की गई है उन चिकित्सालयों से निगोशियेशन कर बीपीएल मरीजों का निःशुल्क ईलाज करवाने की कार्यवाही की जावे क्यों कि उन चिकित्सालयों को करोड़ों रु. की जमीन निःशुल्क/रियायती दर पर दी गई है। यदि कमजोर वर्ग तथा बीपीएल मरीजों के निःशुल्क/रियायती दर से ईलाज हेतु लीजडीड, भूमि आवंटन इत्यादि में कोई शर्त नहीं रखी गयी हो तब भी गरीब/कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क ईलाज उपलब्ध कराने हेतु कार्य योजना तैयार की जावे।
- स्थानीय निकायों द्वारा जिन संस्थाओं को निःशुल्क/रियायती दर पर भूमि का आवंटन किया गया है उसकी सूचना भी निम्नांकित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

क्र.सं.	विभाग	आवंटित भूमि का विवरण	वर्तमान में अस्पताल/नर्सिंग केंद्र आलू है या नहीं ?	आवंटन शर्तों की पालना की स्थिति	शर्तों के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई का विवरण
1	2	3	4	5	6

(iv) इन संस्थाओं को निःशुल्क/रियायती दर पर भूमि आवंटित की जाती है उसके संबंध में

नियमों की पालना नहीं की जा रही है तो उराक खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। संस्था द्वारा समय पर निर्माण कार्य किया जावे। यह सुनिश्चित करने का दायित्व आवंटन करने वाली संस्था का होगा। यदि निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे।

(v) परीजों को निःशुल्क/रियायती दर पर चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जा रहा है कि अनुपालना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुनिश्चित की जानी है। भूमि आवंटन की प्रति भविष्य में चिकित्सा विभाग को देते हुए संबंधित जिले के कुछ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दी जावे। जिसमें भवन निर्माण की समर्थन की जावे।

(vi) आपके क्षेत्र की ऐसी निजी संस्थाएँ जिन्हें रियायती दरों पर भूमि आवंटित की गई हैं, को भूमि पर आवंटन द्वारा चिकित्सा पर विभाग यो स्थानीय अधिकारियों द्वारा अधिकारीयों का भ्रष्ट करें।

उक्त निर्देशों की पालना में संबंधित संस्थाओं को रियायती दर पर आवंटित भूमि का राज्य व समाज के हित में सही उपयोग सुनिश्चित करने, आवंटन की शर्तों की पालना करवाने एवं शर्तों की पालना नहीं किए जाने की स्थिति में राम्भन्ति संरक्षण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

—Sd/-—

(म.ए.ल. मीना)

शासन उप सचिव—तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही डेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान राजकार्य जयपुर।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, मंगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, अंतिम मुख्य सचिव, नगरीय शासन विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
7. अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. उप शासन सचिव द्वादश/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
9. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
10. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
12. सचिव, नगर सुधार न्यास..... (रामगढ़)
13. राइत पत्रावली!

शासन उप सचिव—तृतीय